न्यायालय कलक्टर (आर्बीट्रेटर)नेशनल हाईवे अजमेर

प्रा0पत्र सं0 105/2010

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., मुम्बई, हाल–अजमेर टी.ओ.पी.साईट एन.एच. 8, ग्राम सराधना, स्थानीय मुख्य प्रबन्धक, जिला–अजमेर। .....**प्रार्थी**

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)जरिये प्रोजेक्ट डाईरेक्टर,राष्ट्रीय राजमार्ग पी.आई.हाउसिंग कॉलोनी, यू. ब्यावर(अजमेर)
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सचिव, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग किशनगढ से ब्यावर अजमेर (अपर कलक्टर, अजमेर) .....**अप्रार्थीगण**

उपस्थित :– 1. श्री शुभकरण सिंह चौधरी अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 "जी" (5) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956

पंचाट

दिनांक 30.11.2016

दावा :– प्रार्थी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956–बाबत पंचाट अप्रार्थी सं 3 के निर्णय एवं अवार्ड दिनांक 19.11.2009 के विरूद्ध मध्यस्था हेतु इस न्यायालय (आर्बीटेटर) के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की ग्राम सराधना के ख.नं. 1126, 1127 की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्ताधीन होने की जानकारी पर दिनांक 17.08.2009 को अप्रार्थी सं0 03 के समक्ष अवाप्त भूमि बाबत पूर्व में पारित अवार्ड सं0 01/2005 एच.पी.सी.एल. बनाम नाथी वगैरह की प्रति सहित आपत्तियॉ प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नं0 1126, 1127 व अन्य पूर्व में जनहित में अवाप्त भूमि है, जिस पर एच.पी.सी.एल. का प्लान्ट संचालित है। अतः एच.पी.सी.एल. की भूमि अवाप्ति से मुक्त रखी जावें एवं प्रस्तुत आपतियों का बिन्दुवार निस्तारण किया जावें। इसके बावजूद भूमि अवाप्ति अधिकारी अजमेर द्वारा प्रार्थी के खसरा नं0 1126 में से 0.0600 हैक्टयर भूमि अवाप्त की गई जिसका अवार्ड भी न्यूनतम जारी किया गया है, जबकि पूर्व में प्रार्थी, एच.पी.सी.एल.के लिए पारित अवार्ड सं0 1/2005 द्वारा भुगतान की गई राशि 1,50,000/–रूपये प्रति बीघा एवं 30 प्रतिशत सोलेसियम राशि मय ब्याज भुगतान किया गया। जबकि उक्त

30/11/16

कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नैशनल हाईवे, अजमेर

Scanned by CamScanner

अवाप्त भूमि पर अब प्लान्ट लगकर चालू है, जिसमें करोडो रूपये प्रार्थी द्वारा खर्च किये गये है। मौके पर वर्तमान में वाणिज्यिक उपयोग हो रहा है। अप्रार्थी द्वारा मौके का भौतिक निरीक्षण किये बिना एवं तकनीकी विशेषज्ञों की राय लिए बिना मौके पर निर्मित चार दीवारी, पाईप लाइनों, तार–बन्दी एवं तकनीकी कार्य का आंकलन एवं वाणिज्यिक दर से गणना किये बिना पारित किया गया है। अतः प्रार्थी को अवाप्त भूमि 600 वर्ग मीटर भूमि का सराधना की वाणिज्यिक डी.एल.सी दर रूपये 500/–प्रति वर्ग फीट की दर से रूपये 32,28,000.00 तथा केसिंग एवं फेंसिंग रिपेयर राशि–14,03,544–00 एवं पूर्व में प्लान्ट स्थापना हेतु ठेकेदार को की गई भुगतान राशि– 11,27,500–00 कुल राशि 57,59,044.00 का भुगतान प्रार्थी को करवाने का आदेश अप्रार्थी सं. 3 को जारी किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी से प्रार्थना पत्र बाबत् टिप्पणी चाही गई।

<u>प्रतिरक्षण</u> :– अप्रार्थी का जवाब कथन है कि वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड के अनुसार विधिवत रूप से अवार्ड घोषित किया गया है, जिसमे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार अवार्ड आदेश दिनांक 19.11.2009 को पारित हुआ है, जो वादग्रस्त आराजी के रेकार्ड एवं मौके की स्थिति के पूर्ण जांच कर विधिवत रूप से आंकलन कर पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि के कृषि भूमि होने से कृषि भूमि की डी.एल.सी. के अनुसार अवार्ड घोषित किया गया है। इसलिए प्रार्थी, चाहा गया अनुतोष पाने का कतई हकदार नहीं है। अतः अवार्ड दिनांक 19.11.2009 यथावत रखा जावें। अप्राथी सं0 3 का जवाब कथन है कि भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का क्षैत्राधिकार उनका नहीं हैं। अवाप्तिधीन भूमि का मुआवजा एन.एच.अधिनियम के प्रावधानों के अन्तगर्त निर्धारण किया गया है। निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान चेक सं0 353517 दिनांक 26.12.10 द्वारा प्रार्थी को किया जा चुका है। एन.एच.एक्ट में सोलेसियम राशि के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। एन.एच.एक्ट की धारा 3(जे) के अनुसार भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होतें है। अवार्ड आदेश तत्समय के राजस्व रिकार्ड के अंकन के अनुसार एवं सर्वेयर द्वारा मौके पर बने निर्माण की सर्वे रिर्पोट के अनुसार ही जारी किया गया है, साथ ही हितबद्ध व्यक्तियों की प्रस्तुत आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करने के बाद ही अवार्ड आदेश जारी किया जाकर भुगतान किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिरक्षण में प्रस्तुत जवाब कथनों के आधार पर मुख्यतः विवाद बिन्दू तय किये गये।

<u>विवाद बिन्दूः–</u>

1. आया प्रार्थी की ग्राम सराधना के खसरा नं0 1126 रकबा 0.0600 हैक्टयर अवाप्त भूमि पूर्व में पारित अवार्ड सं0 01/2005 एच.पी.सी.एल. बनाम नाथी द्वारा अवाप्त भूमि का हिस्सा है, जिस पर प्रार्थी का पलान्ट संचालित है एवं अवाप्त भूमि का मुआवजा पूर्व में एच.पी.सी.एल. हेतु पारित अवार्ड अनुसार किये गये भुगतान से भी कम का पारित किया गया है ?

कलेक्टर (आर्बीट्रेटर)
नैशनल हाई., अजमेर

2. आया अवाप्त भूमि का वर्तमान में वाणिज्यिक उपयोग होने से प्रार्थी (एच.पी.सी.एल) ग्राम सराधना की वाणिज्यिक दर रूपये–500/–रूपये प्रति वर्ग फीट तथा केसिंग, फेंसिंग रिपेयर राशि–14,03,544–00 एंव पूर्व में प्लान्ट स्थापना हेतु ठेकेदार को भुगतान की गई राशि–11,27,500–00 कुल राशि 57,59,044.00 मुआवजा पाने के अधिकारी है ?

3. आया अवार्ड दिनांक 19.11.2009 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकन अनुसार कृषि भूमि की DLC दर अनुसार अवार्ड पारित किया जाकर मुआवजा राशि का भुगतान जरिये चैक सं0 353517 दिनांक 26.12.10 से सम्बन्धित को किया जा चुका है ?

उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा अपने दावे /प्रतिरक्षण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा उभय पक्ष में विवाद बिन्दुओ पर आपसी सहमति बनाये जाने का प्रयास किया गया।

आपसी सहमति :– माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाही के तहत उभय पक्ष को विवाद बिन्दुओं पर आपसी सहमति बनाये जाने के प्रयास के तहत आमने सामने बिठाकर सुलह का प्रयास करवाया गया। उभय पक्ष में इस दौरान किसी भी बिन्दू पर सहमति नहीं बन पाई।

उपस्थित उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को प्रकरण में गुणावगुण पर विनिश्चय करने के लिए सहमति प्रकट करते हुए आदेश पारित करने का आग्रह किया गया।

हमने उभय पक्ष के सुनवाई दौरान व्यक्त कथनों पर ध्यान पुर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु प्रार्थी की ग्राम सराधना के खसरा नं0 1126 में से 0.0600 हैक्टयर अवाप्त भूमि का अप्रार्थी0 द्वारा सर्वेयर द्वारा मौके पर बने निर्माणों का सर्वे करवाकर सर्वे रिपोर्ट एवं तत्समय के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकन मुताबिक भूमि की DLC दर से एन.एच. एक्ट, 1956 के प्रावधानों की परिधी में मुआवजा निर्धारित कर अवार्ड जारी किया गया है। निर्धारित मुआवजा राशि का चैक सं0 353517 दिनांक 26.12.10 के द्वारा संबधित को भुगतान किया जा चुका है। दावाकर्ता ने ऐसे कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया जिससे उनका अधिक नुकसान का दावा स्वीकृत किया जा सके। ऐसी स्थिति में पारित अवार्ड विधि अनुरूप होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। अवार्ड आदेश दिनांक 19.11.2009 यथावत रखा जाता है।

अवार्ड मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30–11–2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/11/16

(गौरव गोयल)
कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नेशनल हाईवे अजमेर

Scanned by CamScanner